विधान सभा सचिवालय

उत्तराखण्ड

(व्यवस्था अनुभाग)

संख्याः 182/वि0स0/35/व्यव0/2013–14 देहरादून, दिनांकः 22 मार्च, 2014

निविदा सूचना

विधान सभा, उत्तराखण्ड परिसर में स्थित जलपान–गृह संचालन हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्थाओं/व्यक्तियों से दिनांक 17.04.2014 के अपराहन् 3:30 बजे तक मुहरबन्द निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं जो उसी दिन निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष सायं 3:30 बजे गठित समिति द्वारा खोली जायेंगी। विस्तृत विवरण एवं शर्तोयुक्त निविदा प्रपत्र ₹100 नगद भुगतान पर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 17.04.2014 के अपराहन् 2:00 बजे तक विधान सभा सचिवालय के लेखानुभाग से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा फार्म उत्तराखण्ड शासन की वेबसाइट www:ukvidhansabha.uk.gov.in/tenders पर भी उपलब्ध हैं। वेबसाइट से डाउनलोड किये गये निविदा फार्म प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म का मूल्य ₹100 का ड्राफ्ट जो सचिव, विधान सभा के पक्ष में देय हो, पृथक से संलग्न करना होगा। निविदा के साथ ₹ 20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र) एफ.डी.आर./एन.एस.सी. जो सचिव, विधान सभा के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। अपूर्ण/विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(मदन सिंह कुंजवाल)
संयुक्त सचिव।

स0: वि0स0/35/व्य0/2013–14 तद्दिनांक

1. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष विधान सभा को मा0 अध्यक्ष की सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव, विधान सभा को सचिव महोदय की सूचनार्थ।
3. सूचना पट्ट।
4. लेखा अनुभाग।

(मदन सिंह कुंजवाल)
संयुक्त सचिव।

विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड देहरादून

निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि – 17.04.2014 (अपराह्न 2.00 बजे)
निविदा खोलने की तिथि – 17.04.2014 (अपराह्न 3.30 बजे)

निविदा फार्म का मूल्य–100/–
धरोहर धनराशि –20,000/–
(रू. बीस हजार मात्र)

(विधान सभा सचिवालय परिसर में स्थित जलपान गृह संचालन हेतु निविदा फार्म प्रपत्र)

1. निविदादाता फर्म का नाम...
....
....

2. निविदादाता फर्म का वाणिज्यकर पंजीयन संख्या (TIN No)...
.

3. निविदादाता फर्म का आयकर PAN No ....

4. निविदा पत्र क्रय रसीद सं0...दिनांक ....

5. निविदा पत्र के साथ संलग्न की गई धरोहर धनराशि का विवरणः–

एफ.डी.आर/एन.एस.सी. संख्या	दिनांक	राशि

निविदा फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर–

प्रतिनिधि का नाम–

दिनांक–
स्थान–

दूरभाष सं0–
मोबाइल –

नोटः– इस निविदा फार्म के साथ कुल 4 (चार) पृष्ठ संलग्न है।

निविदा फार्म

क्र.स.	खाद्य सामग्री का विवरण	खाद्य सामग्री	मात्रा	दर
1.	भारतीय भोजन	प्रति थाली (दो सब्जी, एक दाल(150ग्रा.)चार रोटी, चावल फाइन क्वालिटी(250 ग्रा.)रायता, चटनी, आचार पापड़ एवं सलाद)	प्रति थाली	
2.	दक्षिण भारतीय भोजन	इडली +सांभर	प्रति प्लेट	
		डोसा + सांभर	प्रति प्लेट	
		बड़ा +सांभर	प्रति प्लेट	
3.	चाइनीज व्यंजन	चाउमीन 200 ग्राम	200 ग्रा.	
		चाउमीन (फुल प्लेट)	300 ग्रा.	
4.	चाय	चाय	160 मि.ली.	
		चाय टीवैग	160 मि.ली.	
5.	काफी	एसप्रैसो प्रति कप सादी प्रति कप	160 मि.ली. 160 मि.ली.	
6.	नमकीन	नमकीन भूजिया(हल्दीराम)	40 ग्रा.	
		समोसा प्रति पीस	50–60 ग्रा.	
		आलूरोल प्रति पीस	50–60 ग्रा.	
		पनीर पकोड़ा प्रति पीस	50–60 ग्रा.	
		पकोड़ा(आलू/प्याज/गोभी/पालक) प्रति प्लेट	200 ग्रा.	
7.	मीठा	रसगुल्ला प्रति एक उच्च गुणवत्ता का	50 ग्रा.	
		काला जामुन प्रति एक "	50 ग्रा.	
		बूंदी का लड्डू प्रति एक "	30–35 ग्रा.	
		मोतीचूर का लड्डू प्रति एक "	एक के.जी	
8.	सैंडविच(सादे)	––	प्रति दो पीस	
9.	टोस्ट मक्खन	(20ग्राम मक्खन)	प्रति दो पीस	
10.	आमलेट		एक अण्डा	
			दो अण्डा	
11.	विस्कुट	मैरी गोल्ड	प्रति पीस	
		क्रैकजेक	प्रति पीस	
		कोकोनेट	प्रति पीस	
		क्रीम के	प्रति पीस	
		पिस्ता	प्रति पीस	
12.	कोल्ड ड्रिंक्स	कोका कोला/पेस्पी/लिम्का प्रति	200 मि.ली.	
			500 मि.ली.	
			1000 मि.ली	
13.	दही बड़ा		प्रति नग	
14.	छोले चावल	प्रति प्लेट	250 ग्रा.	
15.	कढ़ी चावल	प्रति प्लेट	250 ग्रा.	
16.	राजमा चावल	प्रति प्लेट	250 ग्रा.	
17.	बन मक्खन	प्रति (एक बन, 20 ग्रा. मक्खन सहित)	प्रति पीस	
18.	मिनरल वाटर	किनले/एक्वाफिना/विसलरी आदि	200 मि.ली.	
		"	500 मि.ली.	
		"	1000 मि.ली.	
		"	2000 मि.ली.	
19.	रोटी		प्रति पीस	
20.	दही	प्रति प्लेट	100 ग्रा.	
21.	(क) रायता(बूंदी)	प्रति प्लेट	100 ग्रा.	
	(ख)रायता (खीरा)	प्रति प्लेट	100 ग्रा.	

22.	लस्सी	प्रति गिलास 200 मि.ली	200 मि.ली.	
23.	जूस	मौसम्बी / पाइन एप्पिल प्रति गिलास	200 मि.ली.	
		आनार प्रति गिलास	200 मि.ली.	
		बुरांस प्रति गिलास	200 मि.ली.	
24.	जूस पैक रियल / गोदरेज / आदि प्रमाणित	मौसम्बी	200 मि.ली.	
		"	1 लीटर	
		पाइन एप्पिल	200 मि.ली.	
		"	1 लीटर	
25.	विशेष अवसरों पर लंचपैक	प्रति व्यक्ति पैक(मिस्सी रोटी–1, सादीरोटी–2, पराठे–2,चावल–100 ग्रा. सब्जी पनीर–150 ग्रा. दाल मखानी–150 ग्रात्र मिक्स बैजिटैबिल–150 ग्रा.रसगुल्ला / आइसक्रीम(50–60 ग्रा.) मिनरल वाटर–200 ग्रा. सलाद पापड़ सहित)		
		प्रति व्यक्ति पैक(सादीरोटी–2, पराठे–2,चावल–100 ग्रा. सब्जी पनीर–150 ग्रा. दाल –150 ग्रात्र मिक्स बैजिटैबिल–150 ग्रा. मिनरल वाटर–200 मि.ली., अचार , पापड़ सहित)		
26.	विशेष अवसरों पर भोजन की व्यवस्था	मीनू–मिस्सी रोटी, सादी रोटी, चावल वासमती, दाल मखानी, मिक्स वैजिटेविल, पनीर की सब्जी, आइसक्रीम / रसगुल्ला, रायता, सूप, मिनरल वाटर, गुणवत्तायुक्त टैन्ट, कुर्सी, डेकोरेशन, लाईटिंग सहित। दर प्रति व्यक्ति 01 से– 100 व्यक्ति 01 से– 200 व्यक्ति 200 से अधिक		
27.	विशेष अवसरों पर सूक्ष्म पैक	प्रति पैक(मोतीचूर के लड्डू–4, समोसा–1)		
		प्रति पैक(मोतीचूर के लड्डू–2, गुलाब जामुन–1, पेस्ट्री–1)		
28.	समितियों की बैठकों के लिए	प्रति पैक (ढोकला–1, चीज ब्रेड स्लाइस–2 पीस, रसगुल्ला / पैटीज–1) प्रति पैक(रसगुल्ला / पेटीज–1, पेस्ट्री–1, विस्कुट–2)		

निविदादाता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

निविदादाता का नाम ....

पता ....

....

दूरभाष नम्बर ....

मोबाइल नम्बर ....

विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

<u>विधान सभा भवन में जलपान–गृह संचालन हेतु</u>
<u>नियम व शर्तें</u>

1. विधान सभा भवन में जलपान गृह संचालन के लिए स्थान एवं फर्नीचर, बिजली तथा पानी विधान सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। विद्युत का प्रयोग केवल लाइट व पंखों के लिए ही अनुमन्य होगा।
2. खाद्य सामग्री बनाये जाने हेतु नियमानुसार केवल कमर्शियल गैस सिलेन्डर का ही उपयोग अनुमन्य होगा।
3. खाद्य सामग्री में वैट/कर का स्पष्ट उल्लेख होने पर ही भुगतान देय होगा।
4. जलपान गृह संचालन से पूर्व धरोहर धनराशि के रूप में `20,000/– एफ.डी.आर./एन.एस.सी. के रूप में देय होगी जिसे सचिव, विधान सभा, देहरादून के पक्ष में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. अनुबन्ध की अवधि कार्य प्रारम्भ करने के दिन से एक वर्ष के लिए होगी। किन्तु इस एक वर्ष की अवधि में कैन्टीन संचालन से सम्बन्धित कोई शिकायत न होने की स्थिति में सचिव, विधान सभा द्वारा अनुबन्ध छः माह तक बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।
6. खाद्य सामग्री स्वीकृत मूल्य सूची के आधार पर विक्रय की जानी होगी। कैन्टीन संचालक द्वारा मूल्य सूची पट्टिका कैन्टीन में उपलब्ध रखी जायेगी तथा निर्धारित की गई दरों पर ही खाद्य सामग्री आपूर्ति करने के लिए कैन्टीन संचालक की बाध्यता होगी।
7. जलपान–गृह के वेटर निर्धारित वर्दी में रहेंगे।
8. मा0 अध्यक्ष, मा0 उपाध्यक्ष, मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 मंत्रियों एवं विधान सभा की विभिन्न समितियों के मा0 सभापतियों तथा सचिव, विधान सभा एवं अन्य प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के कक्षों में खाद्य आपूर्ति करनी होगी।
9. निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता फर्म की मुहर एवं अधिकृत प्रतिनिधि के नाम एवं हस्ताक्षर स्पष्ट अंकित होने आवश्यक हैं।
10. सभी प्रकार की पूर्ण सील–बन्द निविदाऐं सचिव, विधान सभा, देहरादून के नाम से प्रत्येक दशा में दिनांक 17.04.14 तक विधान सभा भवन स्थित कक्ष संख्या–310 में अपराहन् 3:00 बजे तक निविदा पेटी में डाली जायेंगी।
11. निविदाऐं दिनांक 17.04.14 को अपराहन् 3:30 बजे उपस्थित ऐसे निविदादाता जो स्वयं अथवा प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होना चाहें, उनके समक्ष खोली जायेंगी।
12. किसी कारण से विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।
13. अपूर्ण एवं सशर्त निविदाऐं प्रथम दृष्टया ही निरस्त कर दी जायेंगी।
14. सामान्यतः जलपान–गृह का कार्य प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक रहेगा, किन्तु पूर्व सूचना पर आवश्यकता को देखते हुए एवं विशेषतः सत्रकाल के दौरान जलपान–गृह उक्त समय के पहले व बाद भी खोलना होगा।
15. सचिवालय के अवकाश के दिनों में खुलने पर पूर्व सूचना पर जलपान–गृह संचालित करना होगा।
16. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कमी पाये जाने, नियमों का अनुपालन न होने तथा किसी तरह की अनुशासनहीनता पाये जाने पर सचिव, विधान सभा एक माह के नोटिस पर अनुबन्ध निरस्त करने एवं धरोहर धनराशि जब्त करने में सक्षम होंगे।
17. गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं के द्वारा निर्मित उत्पादों का ही खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग सुनिश्चित किया जाना होगा। दूध,

पनीर व दही के लिए आँचल के उत्पादों का ही उपयोग मान्य होगा। दूध के रूप मे अन्य किसी माध्यम से प्राप्त सामग्री को परिसर में लाने की अनुमति नहीं होगी।

18. कैन्टीन में बिना पूर्व अनुमति के दी गई अनुसूची के अतिरिक्त कोई भी खाद्य सामग्री निर्मित नहीं की जायेगी एवं दोषी पाये जाने पर जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
19. अनुबन्ध की समाप्ति पर विधान सभा सचिवालय के प्रति कोई विवाद अथवा देनदारी न होने पर ही धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।
20. कैन्टीन के सम्पूर्ण परिसर में स्वच्छता बनाये रखने का पूर्ण दायित्व कैन्टीन संचालक का होगा।
21. कैन्टीन संचालन में लगाये जाने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम कानून का पालन किया जाना एवं दुर्घटना आदि के लिए कैन्टीन संचालक की पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी होगी तथा विधान सभा सचिवालय का इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
22. जलपान–गृह में बनाये जाने वाली प्रतिदिन की खाद्य सामग्री का विवरण (मैन्यू) जलपान–गृह के सूचनापट्ट में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
23. कैन्टीन संचालन के लिए आदेश होने के उपरान्त अनुबन्ध हेतु `100/– का नॉन–ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
24. किसी भी विवाद में मा0 अध्यक्ष, विधान सभा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
25. कैन्टीन संचालन हेतु 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
26. निविदा में उल्लिखित मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप खाद्य सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।
27. निविदादाता के प्रति न्यायालय में कोई वाद–विवाद लम्बित नहीं होना चाहिए ।
28. कैन्टीन संचालन के लिए निविदादाता को इस आशय के साथ नॉन–ज्यूडिशियल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि उसके प्रति कोई वैधानिक जॉच, मुकदमा आदि लम्बित नहीं है एवं फर्म/इकाई को किसी सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची (Black list) में सम्मलित नहीं किया गया है एवं किसी प्रकार की अनियमियता सम्बन्धी प्रकरण प्रचलन में नहीं है।
29. कैन्टीन संचालन हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन आवश्यक खाद्य सुरक्षाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (food saftey licence) जमा करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

निविदादाता की ओर से घोषणा–पत्रः

मैं, मै0 ____________________ पुत्र श्री __________________ पता ______________ ____________ एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा विधान सभा स्थित कैन्टीन संचालन के लिए उपरोक्त शर्तें पढ़ ली गई हैं तथा निर्धारित शर्तों पर एवं मेरे द्वारा उल्लिखित दरों पर खाद्य सामग्री आपूर्ति करने के लिए अनुबन्ध अवधि तक बाध्य रहूँगा।

निविदादाता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....
निविदादाता का नाम ....
पता ....
....
दूरभाष नम्बर ....
मोबाइल नम्बर ....